ग्राम पंचायत सिहुणी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिहुणी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती बेवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपिन कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	01.04.2021 से 30.09.2021
2.	श्री अमरीक सिंह	01.10.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री संदीप कपूर	01.04.2021 से 06.06.2022
2 .	श्रीमती मीना कुमारी	07.06.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सिहुणी के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**0.94**
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**28.46**
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.64**
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि होना	**0.44**
5.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**2.79**
6.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**4.66**
7.	8.4	आपूर्तिकर्ता को एक ही मद के लिए अलग अलग दर से समान अवधि में अनियमित/ अधिक भुगतान करना	**0.15**
8.	9.2	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों को मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना व अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	**0.30**

9.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	**0.03**
10.	10.3	विवाह पंजीकरण से प्राप्त शुल्क को बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना	**0.01**
11.	10.4	किराये पर लिए गए सीमेन्ट गोदाम के किराये का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण अनियमित व्यय का पाया जाना	**0.13**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सिहुणी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.04.2024 से 12.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	02/2022	11/2021
2022-23	03/2023	05/2022

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 09/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/32 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 10/2024 दिनांक 06.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	98922.67	282902.00	381824.67	83401.00	298423.67
2022-23	298423.67	87104.00	385527.67	93658.50	291869.17

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1671862.00	2803273.10	4475135.10	1470638.10	3004497.00
2022-23	3004497.00	3835734.58	6840231.58	3993785.18	2846446.40

कुल योग (1+2) = 291869.17 + 2846446.40 = **3138315.57**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹31,38,315.57** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹32,32,179.40 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.23 को**
1	सभा निधि / SF	KCCB कोटला	200500121315	177992.00
2	पाँचवां वित्त/5TH STATE	SBI सिहुणी	33067492194	407925.50
3	SDP एवं SDRF	SBI सिहुणी	33067498469	252196.50
4	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना MMAGY	KCCB कोटला	50062321792	55213.00
5	विधायक निधि / VKVNY	SBI सिहुणी	33067496030	51093.00
6	सांसद निधि /MPLAD	SBI सिहुणी	33067497840	4541.00
7	GRDY	SBI सिहुणी	33067372490	57603.00
8	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना MMAY	PNB कोटला	6782000100034786	8356.00
9	14वां वित्तायोग / 14FC	SBI सिहुणी	33067492900	10752.40
10	15वां वित्तायोग / 15FC	SBI सिहुणी	39588282996	2206256.00
13	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			251.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :			3232179.40
	<u>दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-</u>			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-			**₹32,32,179.40**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			**₹31,38,315.57**
	अंतर :-			**₹93,863.83**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.94 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹93,863.83** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹28.46 लाख का अवरोधन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 10/2024 दिनांक 06.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 28,46,446.40** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.64 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/सिहुणी दिनांक 06.04.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक G.P.Sihuni/31 दिनांक 10.04.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹50/- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹63,640.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा एवं पंचायत राजस्व इसी तरह पर्याप्त कारणों के बिना अदत्त (Outstanding) रहता रहा तो एक समय पर इसकी उगाही करना असम्भव हो जायेगा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष (₹)	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹) (कालम 2+5)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शे राशि (₹) (कालम 6-7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	83,980.00	480	50.00	24,000.00	1,07,980.00	70,940.00	37,040.
2022-23	37,040.00	532	50.00	26,600.00	63,640.00	0.00	63,640

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.44 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 11/2021 व 05/2022 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹ 43,701.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹ 43,701.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से

संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके तदानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹2.79 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 11/2021 व 05/2022 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 2,78,863.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार राशि ₹4.66 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 11/2021 व 05/2022 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹4,65,733.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति के रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है ,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

8.4 आपूर्तिकर्ता को एक ही मद के लिए अलग अलग दर से समान अवधि में ₹0.15 लाख का अनियमित/ अधिक भुगतान करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के अनुसार पंचायत द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन किया जायेगा ।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा Lime Plants का क्रय आपूर्तिकर्ता M/s विलेज फार्म गार्डन सेंटर से एक ही अवधि में दो अलग अलग दर पर किया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ता M/s विलेज फार्म गार्डन सेंटर को **₹15,000.00** का अनियमित/अधिक भुगतान

किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 11/2021 व 05/2022 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निमानुसार है :-

क्र0 स0	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	11/2021	**3,37100.00**
2.	2022-23	05/2022	**10,22,067.94**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.53 लाख के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹53,795.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोल को रजिस्टर में प्रविष्टि कर जारी किया जाएगा, मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्ट्रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.30 लाख के मस्टर रोलों को मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना व अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **79** (2) के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है व नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा की वित्तीय स्थिति (online) के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹29,987.00** का भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ञ "** पर संलग्न है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये इन मस्टर रोलों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई जिस कारण किए गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी व उक्त मस्टर रोलों से संबंधित निर्माण कार्यों का पूर्ण रूप से निष्पादन संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि मस्ट्रोल कहीं आगे पीछे हो गये है व इन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अत: मस्टर रोलों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये व विभागीय स्तर पर जांच की जाये, तदोपरांत निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल से संबंधित किये गए भुगतान को उच्च अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में APL परिवारों से ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- व BPL परिवारों से ₹25/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹50/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपर वर्णित नियम के विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी व विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि **₹3,200.00** की वसूली नहीं की गई है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ट "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि समय के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी व नियमानुसार कार्यवाही उपरांत शीघ्र ही विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में विवाह पंजीकरण शुल्क संबंधी इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाये।

10.3 विवाह पंजीकरण से प्राप्त शुल्क ₹0.01 लाख को बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹1200.00** का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ठ"** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	**आवेदनकर्ता**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण तिथि**	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**वसूली गई राशि**
1	घन वीर सिंह	02-12-2022	23-12-2022	230391	23-12-2022	₹ 200.00
2	मुलख राज	31-01-2023	13-02-2023	340401	13-02-2023	₹ 200.00
3	दीप कुमार	27-01-2023	06-03-2023	340403	06-03-2023	₹ 400.00
4	मोहम्मद शफी	19-03-2023	25-03-2023	340406	25-03-2023	₹ 200.00
5	विक्रम सिंह	09-03-2023	25-03-2023	340407	25-03-2023	₹ 200.00
					कुल योग	**₹ 1,200.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि समय के अभाव में उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में जमा नहीं किया गया व नियमानुसार कार्यवाही करके के रोकड़ बही में इन्द्राज करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कर इसका इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.4 किराये पर लिए गए सीमेन्ट गोदाम के किराये का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया राशि ₹0.13 लाख का अनियमित व्यय

ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमती सुनीता देवी से अवधि सितंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक सीमेन्ट भण्डारण के लिए गोदाम के रूप में उपयोग हेतु कमरा किराए पर लिया गया था। इसके किराए के रूप में माह 09/2021 से 01/2022 तक ₹700/- प्रतिमाह की दर से राशि ₹3500/- का अनियमित भुगतान किया गया व श्री कर्मचंद सुपुत्र श्री भेकडू राम से अप्रैल 2022 से लगातार सीमेन्ट भण्डारण के लिए गोदाम के रूप में उपयोग हेतु कमरा किराए पर लिया गया था। इसके किराए के रूप में माह 04/2022 से 03/2023 तक ₹800/- प्रतिमाह की दर से राशि ₹9600/- का अनियमित भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अवधि में कुल भुगतान (₹3500/- + ₹9600/-) राशि **₹13100/-** किया गया था। यह कमरा कब से किराए पर लिया गया था इसका विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था और न ही इसका संकलित विवरण रखने के लिये कोई किराया भुगतान रजिस्टर पँचायत द्वारा अनुरक्षित किया गया जिस कारण इस मद पर अब तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों (H.P. Govt. ords.1 below rule 8.4 of HPFR 1971 VOL-I) में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को किराए पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराए पर लेने से पूर्व इसके किराए का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा इस गोदाम के किराए का मूल्यांकन कमरा किराए पर लेते वक्त नहीं करवाया गया जिस कारण किराए के रूप में किया गया भुगतान अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/सिहुणी दिनांक 09.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/29 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया किराया भुगतान रजिस्टर एवं वॉउचर असंधारित है जिसे भविष्य में संधारण कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा व नियमों की जानकारी के अभाव में सीमेंट स्टोर को

किराये पर लेने से पूर्व हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में नियमानुसार मूल्यांकन करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अब लोक निर्माण विभाग से इसका नियमानुसार मूल्यांकन सुनिश्चित करवाते हुये कृत व्यय को न्याय संगत ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
9.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सिहुणी दिनांक 12.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक G.P.Sihuni/33 दिनांक 12.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3468 – 3472 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)410/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सिहुणी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0 /50

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP SIHUNI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	98922.67	282902.00	381824.67	83401.00	298423.67
2022-23	298423.67	87104.00	385527.67	93658.50	291869.17

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1671862.00	2803273.10	4475135.10	1470638.10	3004497.00
2022-23	3004497.00	3835734.58	6840231.58	3993785.18	2846446.40

परिशिष्ट : "ख"

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SIHUNI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2021-22	142348.00	129720.00	272068.00	135806.00	136262.00
		2022-23	136262.00	393186.00	529448.00	378012.00	151436.00
2	SDP/SDRF	2021-22	234923.50	261531.00	496454.50	154381.00	342073.50
		2022-23	342073.50	201115.00	543188.50	290992.00	252196.50
3	MMAGY	2021-22	49843.00	1587.00	51430.00	0.00	51430.00
		2022-23	51430.00	3783.00	55213.00	0.00	55213.00
4	VKVNY	2021-22	2648.00	200242.00	202890.00	0.00	202890.00
		2022-23	202890.00	91013.00	293903.00	242810.00	51093.00
5	MPLAD	2021-22	4047.50	104208.00	108255.50	57389.00	50866.50
		2022-23	50866.50	51087.00	101953.50	97413.00	4540.50
6	GRDY	2021-22	54585.00	1488.00	56073.00	0.00	56073.00
		2022-23	56073.00	1530.00	57603.00	0.00	57603.00
7	MMAY	2021-22	1531.00	128.00	1659.00	0.00	1659.00
		2022-23	1659.00	16197.00	17856.00	9500.00	8356.00
8	14TH FC	2021-22	792794.00	29912.00	822706.00	0.00	822706.00
		2022-23	822706.00	316486.26	1139192.26	1128439.86	10752.40
9	15TH FC	2021-22	389142.00	951395.00	1340537.00	0.00	1340537.00
		2022-23	1340537.00	1053556.00	2394093.00	138837.00	2255256.00
10	MNREGA	2021-22	0.00	1123062.10	1123062.10	1123062.10	0.00
		2022-23	0.00	1707781.32	1707781.32	1707781.32	0.00

(परिशिष्ट " ज " पैरा संख्या " ५.१ " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिहुणी, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176225

ग्राम पंचायत सिहुणी के दिनांक 31.03.2023 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2023	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2023	अंतर
1	सभा निधि / SF	KCCB कोटला	200500121315	177992.00	291869.17	-113877.17
2	पाँचवां वित्त/5TH STATE	SBI सिहुणी	33067492194	407925.50	151436.00	256489.50
3	SDP एवं SDRF	SBI सिहुणी	33067498469	252196.00	252196.50	-0.50
4	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना MMAGY	KCCB कोटला	50062321792	55213.00	55213.00	0.00
5	विधायक निधि / VKVNY	SBI सिहुणी	33067496030	51093.00	51093.00	0.00
6	सांसद निधि /MPLAD	SBI सिहुणी	33067497840	4541.00	4540.50	0.50
7	GRDY	SBI सिहुणी	33067372490	57603.00	57603.00	0.00
8	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना MMAY	PNB कोटला	6782000100034786	8356.00	8356.00	0.00
9	14वां वित्तायोग / 14FC	SBI सिहुणी	33067492900	10752.40	10752.40	0.00
10	15वां वित्तायोग / 15FC	SBI सिहुणी	39588282996	2206256.00	2255256.00	-49000.00
			जोड़ (क)	3231927.90	3138315.57	93612.33
			हस्तगत शेष (ख)	251.00	0.00	251.00
			कुल जोड़ (क + ख)	**3232178.90**	**3138315.57**	**93863.33**

दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	**3232178.90**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**3138315.57**
अंतर :-	**93863.33**

Secretary
Gram Panchayat Sihuni
Dev. Block N. Surian

(परिशिष्ट "ग" "पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिहुणी , वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176225

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 480 तथा 2022-23 में 532 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 83,980.00	480	₹ 50.00	₹ 24,000.00	₹ 1,07,980.00	₹ 70,940.00	₹ 37,040.00
2022-23	₹ 37,040.00	532	₹ 50.00	₹ 26,600.00	₹ 63,640.00	₹ 0.00	₹ 63,640.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹63,640/- है।						

Krishna Kumari

ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.43 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

	मनरेगा									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं० / दिनांक	बिल सं० /	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	सलविंदर सिंह	116 / 17.11.21	005 / 07.06.21	रेत	180	5.1	1.62	8.26	80	660.80
				बजरी	668	18.92	1.52	28.76	80	2300.80
				पत्थर	54	1.53	2.24	3.43	80	274.40
2	रणजीत कुमार	117 / 17.11.21	006 / 04.08.21	रेत		10.6	1.62	17.17	80	1373.60
				बजरी		20	1.52	30.4	80	2432.00
				पत्थर		8	2.24	17.92	80	1433.60
3	सलविंदर सिंह	32 / 25.05.21	007 / 16.09.21	रेत	135	0.382	1.62	0.62	80	49.60
				बजरी	359	10.17	1.52	15.46	80	1236.80
4	सलविंदर सिंह	33 / 25.05.21	009 / 16.09.21	रेत	175	4.96	1.62	8.04	80	643.20
				बजरी	325	9.2	1.52	13.98	80	1118.40
5	सलविंदर सिंह	34 / 25.05.21	008 / 16.09.21	रेत	175	4.96	1.62	8.04	80	643.20
				बजरी	332	9.4	1.52	14.29	80	1143.20
6	रणजीत कुमार	35 / 25.05.21	014 / 16.10.21	रेत	340	9.63	1.62	15.6	80	1248.00
				बजरी	644	18.24	1.52	27.73	80	2218.40
7	रणजीत कुमार	38 / 25.05.21	003 / 21.06.21	रेत	205	5.81	1.62	9.41	80	752.80
				बजरी	380	10.76	1.52	16.36	80	1308.80
				पत्थर	50	1.42	2.24	3.18	80	254.40
8	रणजीत कुमार	40 / 25.05.21	016 / 16.11.21	रेत	350	9.91	1.62	16.05	80	1284.00
				बजरी	700	19.82	1.52	30.13	80	2410.40
				पत्थर	990	28.04	2.24	62.81	80	5024.80
		5 वा वित्त								
9	रणजीत कुमार	Nil / 13.05.21	022 / 05.02.22	रेत	143	4.05	1.62	6.56	80	524.80
				बजरी	130	3.68	1.52	5.59	80	447.20
				पत्थर	149.5	4.23	2.24	9.48	80	758.40
		एस०डी०पी०								
10	रणजीत कुमार	Nil / 13.05.21	023 / 07.02.22	रेत	410	11.61	1.62	18.81	80	1504.80
				बजरी	885	25.06	1.52	38.09	80	3047.20
				पत्थर	171	4.84	2.24	10.84	80	867.20
									Total	34960.80
									Panelity @ 25 %	8740.20
									कुल राशी	**43701.00**

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सिहुणी द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची

क्र०सं०	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	आपूर्तिकर्ता	राशी	टिप्पणी
1	97 / 17-11-2021	416 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	185	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	24050.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2	98 / 17-11-2021	413 / 01-08-2021	निम्बू के पौधे	240	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	31200.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
3	99 / 17-11-2021	415 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	210	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	27300.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
4	100 / 17-11-2021	410 / 01-08-2021	निम्बू के पौधे	150	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	19500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
5	101 / 17-11-2021	417 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	150	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	19500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
6	102 / 17-11-2021	432 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	235	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	30550.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
7	103 / 17-11-2021	414 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	100	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	13000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
8	104 / 17-11-2021	431 / 18-08-2021	आम व निम्बू के पौधे	230	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	29900.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
9	105 / 17-11-2021	418 / 18-08-2021	निम्बू के पौधे	42	120	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	5040.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
10	106 / 17-11-2021	177 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	44	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	1276.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
11	107 / 17-11-2021	141 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	37	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	1073.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
12	108 / 17-11-2021	142 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	29	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	841.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
13	109 / 17-11-2021	144 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	31	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	899.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
14	110 / 17-11-2021	140 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	28	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	812.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
15	111 / 17-11-2021	139 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	68	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	1972.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
16	112 / 17-11-2021	112 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	57	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	1653.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
17	113 / 17-11-2021	001 / 01-07-2021	सरिया	94 Kg	55.90	मै० माँ विद्या हार्डवेयर स्टोर	6200.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
18	114 / 17-11-2021	004 / 01-08-2021	पौधों की ढुलाई	150	10	रणजीत कुमार	1500.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			देसी खाद की ढुलाई	1	1800		1800.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
19	115 / 17-11-2021	138 / 14-09-2021	सीमेन्ट की ढुलाई	94	20	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	2726.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
20	117 / 17-11-2021	006 / 04-08-2021	रेत	10.6	700	रणजीत कुमार	7420.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			बजरी 20/40	20	700		14000.00	
			पत्थर	8	700		5600.00	
			शटरिंग ढुलाई सहित	20	120		2400.00	
			साइन बोर्ड	1	600		600.00	
21	30 /25-05-2022	039 / 02-05-2021	जी० आई० शीट	83.6	110	राजीव शक्ति	9196.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			लोहे का दरवाजा चोखाट सहित	1	5000		5000.00	
			सरिया	17.5	65		1137.00	
			ईंट	630	6.50		4095.00	
22	35 / 25-05-2022	014 / 16-10-2021	साईन बोर्ड लिखाई	1	600	रणजीत कुमार	600.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
23	37 / 25-05-2022	1014 / 08-11-2021	सरिया 10 मी० मी०	101	57	मंगल स्टील	6875.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			वायर	1	68			
24	38 / 25-05-2022	003 / 21-06-2021	साईन बोर्ड	1	800	रणजीत कुमार	800.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
25	Nil / 13-05-2022	004 / 05-02-2022	सीमेन्ट की ढुलाई	12	29	उत्तम सिंह ट्रांस. का.	348.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
						कुल योग	**278863.00**	

परिशिष्ट " Ch ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सिहुणी द्वारा क्रय किये गये सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशी gst सहित
1	97/17.11.21	416/18.08.21	निम्बू के पौधे	185	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	24050.00
2	98/17.11.21	413/01.08.21	निम्बू के पौधे	240	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	31200.00
3	99/17.11.21	415/18.08.21	निम्बू के पौधे	210	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	27300.00
4	100/17.11.21	410/01.08.21	निम्बू के पौधे	150	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	19500.00
5	101/17.11.21	417/18.08.21	निम्बू के पौधे	150	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	19500.00
6	102/17.11.21	432/18.08.21	निम्बू के पौधे	235	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	30550.00
7	103/17.11.21	414/18.08.21	निम्बू के पौधे	100	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	13000.00
8	104/17.11.21	431/18.08.21	आम व निम्बू के पौधे	230	130	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	29900.00
9	105/17.11.21	418/18.08.21	निम्बू के पौधे	42	120	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	5040.00
10	113/17.11.21	001/01.07.21	सरिया	94 Kg	55.9	मैं० माँ विदया हार्डवेयर स्टोर	6200.00
11	116/17.11.21	005/07.06.21	रेत	180	30	सलविंदर सिंह	5400.00
			बजरी 10	355	22		7810.00
			बजरी 20	105	24		2520.00
			बजरी 40	210	24		5040.00
			पत्थर	54	20		1080.00
12	117/17.11.21	006/04.08.21	रेत	10.6	700	रणजीत कुमार	7420.00
			बजरी 20/40	20	700		14000.00
			पत्थर	8	700		5600.00
			शटरिंग ढुलाई सहित	20	120		2400.00
13	30/25.05.22	039/02.05.21	जी० आई० शीट	83.6	110	राजीव शक्ति	9196.00
			लोहे का दरवाजा चोखाट सहित	1	5000		5000.00
			सरिया	17.5	65		1137.00
			ईंट	630	6.5		4095.00
14	32/25.05.22	007/16.09.21	रेत	135	30	सलविंदर सिंह	4050.00
			बजरी 20	260	24		6240.00
			बजरी 40	99	24		2376.00
15	33/25.05.22	009/16.09.21	रेत	175	30	सलविंदर सिंह	5250.00
			बजरी 20	325	24		7800.00
16	34/25.05.22	008/16.09.21	रेत	175	30	सलविंदर सिंह	5250.00
			बजरी 20	332	24		7968.00
17	35/25.05.22	014/16.09.21	रेत	340	30	रणजीत कुमार	10200.00
			बजरी 20/40	644	24		15456.00
			शटरिंग ढुलाई सहित	400	15		6000.00
			साईन बोर्ड लिखाई	1	600		600.00
18	37/25.05.22	1014/08.11.21	सरिया 10 मी० मी०	101	57	मंगल स्टील	6875.00
			वायर	1	68		
19	38/25.05.22	003/21.06.21	रेत	205	30	रणजीत कुमार	6150.00
			बजरी 20/40	380	24		9120.00
			पत्थर	50	20		1000.00
20	40/25.05.22	016/16.11.21	रेत	350	30	रणजीत कुमार	10500.00
			बजरी 20/40	700	24		16800.00
			पत्थर	990	20		19800.00
21	Nil/25.05.22	022/05.02.22	रेत	143	30	रणजीत कुमार	4290.00
			बजरी 20/40	130	24		3120.00
			पत्थर	149.5	20		2990.00
22	Nil/13.05.22	023/07.02.22	रेत	410	30	रणजीत कुमार	12300.00
			बजरी	885	24		21240.00
			पत्थर	171	20		3420.00
						कुल	465733.00

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सिहुणी द्वारा आपूर्तिकर्ता को समान अवधि के बिलों में एक ही मद के लिए अलग अलग दर से अतिरिक्त भुगतान करने बारे

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	अधिक भुगतान की गई दर	अधिक भुगतान की गई राशी
1	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	105 / 17.11.2021	418 / 18.08.2021	Lime Plants	42	**120**	₹ 0.00	₹ 0.00
2	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	97 / 17.11.2021	416 / 18.08.2021	Lime Plants	185	130	₹ 10.00	₹ 1,850.00
3	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	98 / 17.11.2021	413 / 01.08.2021	Lime Plants	240	130	₹ 10.00	₹ 2,400.00
4	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	99 / 17.11.2021	415 / 18.08.2021	Lime Plants	210	130	₹ 10.00	₹ 2,100.00
5	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	100 / 17.11.2021	410 / 01.08.2021	Lime Plants	150	130	₹ 10.00	₹ 1,500.00
6	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	101 / 17.11.2021	417 / 18.08.2021	Lime Plants	150	130	₹ 10.00	₹ 1,500.00
7	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	102 / 17.11.2021	432 / 18.08.2021	Lime Plants	235	130	₹ 10.00	₹ 2,350.00
8	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	103 / 17.11.2021	414 / 18.08.2021	Lime Plants	100	130	₹ 10.00	₹ 1,000.00
9	विलेज फार्म गार्डन सेण्टर	104 / 17.11.2021	431 / 18.08.2021	Lime Plants	230	130	₹ 10.00	₹ 2,300.00
							कुल योग	**₹ 15,000.00**

सिहुणी

सिहुणी

Secretary Gram Panchayat Sihuni Dev. Block N. Surian

परिशिष्ट " [illegible] ", पैरा संख्या "9.1" के संदर्भ में

<u>मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.53 लाख के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्टर रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना</u>

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार कमला देवी की जमीन पर	4101	Nil/03.11.21	9541.00
2	निर्माण पानी का टैंक ओम प्रकाश सुपुत्र मानख राम	4102	Nil/03.11.21	3857.00
		4417	Nil/23.11.21	8323.00
3	निर्माण तिलक राज सुपुत्र सरन दास का घर	4419	Nil/20.11.21	11368.00
4	निर्माण रास्ता फाँदी राम घर से नाग मंदिर तक	4420	Nil/20.11.21	18676.00
5	निर्माण पानी का टैंक प्रवीन कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद	4103	Nil/05.11.21	406.00
6	निर्माण बारिश के पानी का संरक्षण टैंक बोबीन्द्र सिंह सुपुत्र प्रेम सिंह	4104	Nil/05.11.21	609.00
7	निर्माण पानी का टैंक जीवन कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद	4106	Nil/05.11.21	609.00
8	निर्माण पानी का टैंक अर्जुन सिंह सुपुत्र रिज़ा राम	4107	Nil/05.11.21	203.00
			Nil/07.11.21	203.00
			कुल जोड़	**53795.00**

परिशिष्ट "ई-अ", पैरा संख्या "9.2" के संदर्भ में

<u>मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.30 लाख के मस्टर रोलों को मस्टर रोल जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना व अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना</u>

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार प्यार सिंह सुपुत्र चतर सिंह	220	Nil/07.05.22	9540.00
2	निर्माण पानी का टैंक प्रवीन कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद	62	Nil/23.05.22	2639.00
3	निर्माण PMAY-G घर PMAY-G Reg. No.HP130715561	252	Nil/07.05.22	5936.00
4	निर्माण PMAY-G घर PMAY-G Reg. No.HP136851660	253	Nil/07.05.22	5936.00
5	निर्माण PMAY-G घर PMAY-G Reg. No.HP138160750	254	Nil/07.05.22	5936.00
			कुल जोड़	**29987.00**

मीना कुमारी

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block

(परिशिष्ट " ट " पैरा संख्या " 10.2" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिहुणी, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176225

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	मुख्त्यार मुहम्मद	12-04-2021	26-04-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	शशी कपूर	27-04-2021	24-05-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	मुकेश धीमान	04-05-2021	09-06-2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	दीपक राणा	30-04-2021	02-07-2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	कृषण कुमार	28-07-2021	13-08-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	सुदाम हुसेन	10-07-2021	06-09-2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
8	प्रशोतम कुमार	19-10-2021	15-11-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
9	अमित सिंह	11-11-2021	02-12-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
10	पंकज ठाकुर	11-11-2021	06-12-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
11	रविंदर कुमार	30-11-2021	15-12-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
12	सुनील कुमार	01-12-2021	16-12-2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
13	सदीक मुहम्मद	30-12-2021	05-02-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
			कुल योग	**₹ 3,200.00**	**₹ 0.00**	**₹ 3,200.00**

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या "10.3" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिहुणी, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176225

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरांत रोकड़ बही में इंदराज एवं एवं बैंक में जमा न करना

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	घन वीर सिंह	02-12-2022	23-12-2022	230391	23-12-2022	₹ 200.00
2	मुलख राज	31-01-2023	13-02-2023	340401	13-02-2023	₹ 200.00
3	दीप कुमार	27-01-2023	06-03-2023	340403	06-03-2023	₹ 400.00
4	मोहम्मद शफी	19-03-2023	25-03-2023	340406	25-03-2023	₹ 200.00
5	विक्रम सिंह	09-03-2023	25-03-2023	340407	25-03-2023	₹ 200.00
					कुल योग	**₹ 1,200.00**